

माननीय सदस्यगण,

तेरहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र में आपको सम्बोधित करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है।

2. हमारे लिए यह संतोष का विषय है कि हाल ही में स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव निर्विघ्न और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए। प्रदेशवासियों ने एक बार पुनः लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था व निष्ठा और राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति अपना समर्थन प्रकट किया है। इन संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों के रूप में युवाओं, महिलाओं और समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व, विशेष रूप से स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं में, महिलाओं को दी गयी 50 प्रतिशत भागीदारी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है, जिससे शहरी एवं ग्रामीण विकास को नई दिशा मिल सकेगी।

3. मुझे यह कहते हुए हार्दिक प्रसन्नता है कि राज्य सरकार ने लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नये राजस्थान के निर्माण का संकल्प लिया है। विगत एक वर्ष में राज्य सरकार ने राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दु आम आदमी को बनाकर उसके उत्थान के लिए विशेष प्रयत्न किए हैं जिनके सार्थक परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। समयबद्ध तरीके से विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पांच राजीव गांधी मिशन यथा— राजीव गांधी जनसंख्या एवं स्वास्थ्य मिशन, राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा मिशन, राजीव गांधी कृषि एवं पशुपालन

मिशन, राजीव गांधी शिक्षा एवं साक्षरता मिशन तथा राजीव गांधी जल विकास एवं संरक्षण मिशन का पुनर्गठन कर संचालित करने का निर्णय लिया है।

4. राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी कोशिश रही है कि विगत वर्षों के दौरान रही खामियों को ध्यान में रखते हुए नई सोच के साथ प्रदेश के संतुलित और सतत विकास की प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जावे। इसके लिए ठोस वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबंध को प्राथमिकता दी गई है।

5. राज्य सरकार ने कृषकों के कल्याण, श्रमिकों की समृद्धि, महिला सशक्तिकरण, युवक-युवतियों को शिक्षा एवं रोजगार के साथ विकास के अवसर उपलब्ध कराने, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, गरीब एवं कमजोर वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के साथ-साथ सुदृढ़ ढांचागत विकास के लिये महती कार्य-योजना लागू कर क्रियान्वित की है।

6. प्रदेश के ग्रामीण एवं कृषि विकास के लिये अभिनव पहल की गई है। राजस्थान में प्रथम बार कृषि नीति बनाई जा रही है। गाँवों के लिये मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया गया है। सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामवासियों को आबादी पट्टा प्रदान किये जाने की व्यवस्था का प्रावधान किया जा रहा है। काश्तकारों के हित के लिये कृषि भूमि अधिग्रहण की नई नीति बनाई जा रही है। फव्वारा एवं बूंद-बूंद सिंचाई के लिये विद्युत् कनेक्शन प्राथमिकता से देने की स्कीम बनाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौके पर ही काश्तकारों की

समस्याओं का समाधान करने हेतु अप्रैल, 2010 से पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व अभियान चलाया जायेगा। ग्रामीण विकास के कुशल प्रबन्धन के उद्देश्य से ग्रामीण अभियांत्रिक सेवा के गठन का निर्णय लिया गया है।

7. मुझे यह कहते हुये खुशी है कि वर्ष 2008-09 में राजस्थान को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

8. राज्य सरकार ने शहरों के सुनियोजित विकास के लिये प्रत्येक शहर का सिटी डवलपमेंट प्लान बनाने का निर्णय लिया है। शहरी नवीनीकरण योजना के लिये 400 करोड़ रुपये का कोष एवं शहरी निकायों के आर्थिक सुदृढीकरण हेतु कार्य-योजना बनाने का भी निर्णय लिया गया है। शहरी निकायों के निर्वाचित मेयर/अध्यक्षों को पर्याप्त शक्ति प्रदान करने पर गहन चिन्तन व मनन किया जा रहा है। भिवाड़ी, खुशखेड़ा व नीमराना कॉम्प्लेक्स को समग्र रूप से विकसित किया जायेगा एवं इनके लिये Urban Development Authority बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में नागरिकों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के उद्देश्य से 26 जनवरी, 2010 से पूरे प्रदेश में "प्रशासन शहरों के संग अभियान" चलाया जा रहा है।

9. जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिये 31 मार्च, 2010 तक कार्य-योजना बना ली जायेगी। जयपुर शहर में मेट्रो रेल परियोजना के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनाई गई है।

10. मुझे यह कहते हुये खुशी है कि राज्य सरकार ने प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी कुशल वित्तीय प्रबन्धन

कर प्रदेश के विकास की गति को निरन्तर प्रवाहवान बनाये रखा है। आज का राजस्थान देश के तेजी से विकसित हो रहे राज्यों में अग्रणी राज्य के रूप में शुमार हो गया है। वाणिज्यिक राजस्व की दृष्टि से जनवरी, 2010 तक 8 हजार 180 करोड़ 60 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया गया, जो इससे पिछले वर्ष के मुकाबले 11.33 प्रतिशत अधिक है।

11. पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क से इस वित्तीय वर्ष में जनवरी, 2010 तक 1072 करोड़ 91 लाख रुपये की आय हुई। इसी अवधि में भूमि कर से 123 करोड़ 52 लाख रुपये की आय हुई। विकलांगों एवं महिलाओं के पक्ष में पंजीकृत होने वाले अचल संपत्ति के दस्तावेजों पर चार प्रतिशत मुद्रांक शुल्क की सुविधा दी गई। जिसके कारण दो लाख 15 हजार 836 दस्तावेज महिलाओं के पक्ष में पंजीकृत हुए। मुद्रांक शुल्क 8 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने तथा महिलाओं के लिए 4 प्रतिशत करने से आमजन को 367 करोड़ 68 लाख रुपये मुद्रांक शुल्क का लाभ मिला।

12. मुद्रांक विभाग एवं राजस्व विभाग के अभिलेखों के पारस्परिक आदान-प्रदान के लिए NLRMP योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर कनेक्टिविटी की योजना बनाई जा रही है। योजना के प्रथम चरण में बाड़मेर, जोधपुर, भीलवाड़ा एवं टोंक जिलों का चयन किया गया है।

13. अवैध शराब के उत्पादन एवं व्यवसाय में लिप्त परिवारों के पुनर्वास के लिए "नवजीवन योजना" प्रारंभ की गई है। स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से संचालित इस योजना में प्रभावित परिवारों का चयन कर उन्हें वैकल्पिक रोजगार देने के

प्रयास किये जा रहे हैं। इस वर्ष 2 हजार व्यक्तियों को वैकल्पिक रोजगार देने का अनुमान है।

14. मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि योजना आयोग ने वर्ष 2009-10 के लिए राज्य की वार्षिक योजना 17 हजार 3 सौ 22 करोड़ की मंजूर की थी, जिसे राज्य के वित्तीय संसाधनों के मद्देनजर परिवर्तित बजट में 18 हजार 6 सौ 34 करोड़ 80 लाख रुपये की गयी।

15. प्रदेश में मानसून वर्ष 2009 में पर्याप्त वर्षा के अभाव को देखते हुए विशेष गिरदावरी करवाकर खराबे के आधार पर 27 जिलों की 191 तहसीलों के 33 हजार 464 गाँवों को अभावग्रस्त घोषित कर भू-राजस्व वसूली एवं आबियाना शुल्क स्थगित किया गया। इसके अलावा अल्पकालीन सहकारी ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किया गया। राहत गतिविधियों की समीक्षा एवं निर्देशन के लिए 5 टास्क फोर्स गठित किये गये हैं एवं प्रभावित जिलों को 276 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। जयपुर में तेल डिपो अग्निकांड तथा चम्बल नदी पुल हादसे के प्रभावितों को क्रमशः 65.74 लाख तथा 10 लाख रुपये की राशि संबंधित जिला कलेक्टरों को आवंटित की गई।

16. राज्य सरकार विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। राज्य की कुल उत्पादन क्षमता वर्तमान में 7732 मेगावाट है जिसमें 3847 मेगावाट राज्य क्षेत्र से, 973 मेगावाट साझेदारी परियोजनाओं से, 1878 मेगावाट केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से तथा 899 मेगावाट क्षमता पवन एवं बायोमास परियोजनाओं से एवं 135 मेगावाट क्षमता निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से उत्पादन सम्मिलित है।

17. प्रदेश को बिजली के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से राज्य क्षेत्र में 1320-1320 मेगावाट क्षमता के सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत् गृह सूरतगढ़ एवं छबड़ा में स्थापित करने का प्रारम्भिक कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही 1320 मेगावाट क्षमता का सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत् गृह बांसवाड़ा में निजी क्षेत्र में स्थापित करने की भी कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित की जाने वाली 4780 मेगावाट की 6 उत्पादन परियोजनाओं को भी सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2009-10 में सूरतगढ़ तापीय विद्युत् गृह की छठी इकाई (250 मेगावाट), कोटा सुपर तापीय विद्युत् गृह की सातवीं इकाई (195 मेगावाट) तथा छबड़ा तापीय विद्युत् गृह की प्रथम इकाई (250 मेगावाट) को कमीशन किया जाकर विद्युत् उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है। छबड़ा विद्युत् तापीय गृह की द्वितीय इकाई (250 मेगावाट) को मार्च, 2010 में कमीशन कर विद्युत् उत्पादन प्रारम्भ करना संभावित है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में 1860 मेगावाट क्षमता की राज्य क्षेत्र में स्थापित की जा रही विद्युत् उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत् उत्पादन करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में मैसर्स राजवेस्ट पावर लिमिटेड द्वारा 1080 मेगावाट क्षमता की विद्युत् परियोजना स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है तथा 135 मेगावाट की प्रथम इकाई से राज्य को विद्युत् मिल रही है।

18. राज्य में उपलब्ध लिग्नाइट के भण्डारों पर आधारित बरसिंगसर, कपूरड़ी एवं जालिपा में लगाये गये विद्युत् संयंत्रों से उत्पादन शीघ्र शुरू होने की संभावना है। राजस्थान स्टेट

माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड द्वारा 31.5 मेगावाट क्षमता का नवीन पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने का कार्य प्रगति पर है।

19. गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत् उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में जनवरी, 2010 तक 137 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित कर विद्युत् उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है। बायोमास से विद्युत् उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु “नई बायोमास नीति” तैयार कर ली गई है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही राज्य में सौर ऊर्जा से विद्युत् उत्पादन को भी बढ़ावा देने हेतु 76 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।

20. राज्य सरकार किसानों को पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध कराने हेतु भी प्रतिबद्ध है। चालू वर्ष में प्रदेश में मानसून की कम वर्षा होने तथा जल विद्युत् उत्पादन में कमी होने के उपरान्त भी राज्य सरकार द्वारा खरीफ की फसल हेतु किसानों को एक हजार 557 करोड़ रुपये की अतिरिक्त विद्युत् खरीद कर उपलब्ध कराई गई। केन्द्रीय विद्युत् उत्पादन गृहों से राज्य को आवंटित पूरी बिजली नहीं मिलने पर भी राज्य सरकार ने अन्य स्रोतों से 3200 करोड़ रुपये के अतिरिक्त विद्युत् क्रय अनुबंध कर किसानों के लिए रबी की फसल हेतु समुचित विद्युत् उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है। जल संरक्षण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बूंद-बूंद/फव्वारा सिंचाई पद्धति का उपयोग करने वाले किसानों को “प्राथमिकता से कृषि कनेक्शन देने की योजना” भी प्रारम्भ की गई है। वर्ष 2009-10 में राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी “ग्राम पंचायत विद्युत् वितरण योजना” का

कार्य प्रगति पर है तथा जनवरी, 2010 तक 33 के.वी. के 137 ग्रिड सब-स्टेशन बनाकर चालू कर दिये गये हैं, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता की विद्युत् आपूर्ति मिल सकेगी।

21. प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 2009-10 में 220 के.वी. के 3 तथा 132 के.वी. के 8 ग्रिड सब-स्टेशन बनाकर चालू कर दिये गये हैं तथा 400 के.वी. के 3, 220 के.वी. के 2 तथा 132 के.वी. के 7 ग्रिड सब-स्टेशन मार्च, 2010 तक बनाकर चालू करना संभावित है। राज्य में प्रसारण तंत्र के सुदृढीकरण हेतु प्रथम बार 765 के.वी. के दो सब-स्टेशन अन्ता (बारां) तथा फागी (जयपुर) में स्वीकृत किये गये हैं। "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" के अन्तर्गत स्वीकृत सभी योजनाओं पर कार्य चल रहा है। चालू वर्ष में जनवरी, 2010 तक 3232 गाँवों का सघन विद्युतीकरण और 634 अविद्युतीकृत गाँवों का विद्युतीकरण किया जाकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 1 लाख 95 हजार 685 परिवारों को घरेलू कनेक्शन भी जारी किये जा चुके हैं।

22. राज्य सरकार जल संसाधन क्षेत्र को अपनी प्राथमिकताओं में शुमार करते हुए वर्ष 2009-10 में इसके लिए 921 करोड़ 77 लाख रुपये का प्रावधान और एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा है। 10 लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 7 लघु सिंचाई परियोजनाएँ भारत सरकार से स्वीकृत हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत 27 करोड़ 79 लाख रुपये में केन्द्रीय सहायता (प्रथम किस्त) 14 करोड़ 17 लाख रुपये प्राप्त हो चुके हैं। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की ओर

से वित्त पोषित 612 करोड़ 29 लाख रुपये की राजस्थान लघु सिंचाई सुधारीकरण परियोजना के तहत 2005-06 से दिसम्बर, 2008 तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। गत एक वर्ष के दौरान 328 उप परियोजनाओं का चयन कर 314 में सर्वे, इन्वेस्टिगेटिंग एण्ड डिजाइन के लिए निविदा स्वीकृत कर कार्य शुरू कराया जा चुका है। राजस्थान फीडर की मरम्मत के लिए पंजाब स्थित भाग की एक परियोजना भारत सरकार से मंजूर कराई जा चुकी है जिस पर 901 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इसी तरह राजस्थान स्थित भाग के लिए 478 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार कर स्वीकृति के लिए केन्द्रीय जल आयोग को भेजी जा चुकी है।

23. राज्य सरकार पेयजल कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। भू-जल स्तर में कमी और खाद्यान्न उत्पादन के लिए नहरी क्षेत्रों पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए राज्य में कृषि एवं उद्यान विकास की नवीन तकनीक को अपनाने की दिशा में ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान दिसम्बर, 2009 तक 18 हजार 896 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के नालों का निर्माण कराया गया। चंबल कमाण्ड क्षेत्र में 27 वितरिकाओं के जीर्णोद्धार का कार्य हाथ में लिया गया है। चंबल सिंचित क्षेत्र विकास, कोटा की ओर से किसानों को मिनी किट, उन्नत एवं नवीनतम किस्म के बीज, फसल प्रदर्शन, जिप्सम, पौधा संरक्षण रसायन, पौधा संरक्षण उपकरण, कृषि यंत्र तथा बायो फर्टिलाइजर किट वितरण से हजारों किसानों को लाभान्वित किया गया है। अगले वित्त वर्ष में 57 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के नाले एवं अन्य संबंधित गतिविधियां पूर्ण करने का प्रस्ताव है।

24. प्रदेश में कम वर्षा तथा भू-जल के अधिक दोहन के फलस्वरूप भू-जल स्तर में गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए सतही स्रोतों यथा बनास नदी, चम्बल नदी, इंदिरा गांधी नहर, नर्मदा नहर इत्यादि पर आधारित वृहद् पेयजल परियोजनाओं का प्राथमिकता पर क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया। अब तक 67 वृहद् पेयजल योजनाएं, जिनकी अनुमानित लागत 12 हजार 884 करोड़ रुपये की है, स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 12 परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं एवं वर्तमान में 44 पेयजल परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। अब तक 20 कस्बे, 1766 ग्राम व 610 ढाणियों को शुद्ध पेयजल से लाभांवित किया गया है। माह दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2009 तक 1071 अनुसूचित जाति एवं जनजाति हैबीटेशन्स में तथा 2591 स्कूलों को शुद्ध पेयजल से लाभांवित किया गया।

25. राज्य सरकार ने समय रहते ग्रीष्म संवर्द्धन योजनाएं बनाकर वर्ष 2009 की गर्मियों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 415 नलकूप, 2722 हैण्डपम्प लगाकर जलापूर्ति सुनिश्चित की। जहां ऐसा संभव नहीं हुआ वहां जल परिवहन को प्राथमिकता दी गई। पेय जलापूर्ति हेतु "आकस्मिक योजना" को लागू किया गया है। जिसके प्रथम चरण में माह सितम्बर, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 157 करोड़ 79 लाख रुपये व शहरी क्षेत्रों में 112 करोड़ 24 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है, जिसके अंतर्गत 1324 नये नलकूप एवं 6853 नये हैण्डपम्पों को स्थापित करने का प्रावधान है। वर्ष 2009-10 में क्रमशः 7042 नये हैण्डपम्पों तथा 1004 नये नलकूपों का निर्माण कार्य करवाया गया है, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। वर्तमान में कुल 30 कस्बों/शहरों में

2981 टैंकर ट्रिप प्रतिदिन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1071 ग्राम/ढाणियों में 1892 टैंकर ट्रिप प्रतिदिन द्वारा जल परिवहन किया जा रहा है। राज्य में 35वां हैण्डपम्प मरम्मत अभियान दिनांक 1 फरवरी, 2009 से प्रारम्भ किया जाकर अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख 34 हजार 364 एवं शहरी क्षेत्रों में 39 हजार 280 हैण्डपम्पों की मरम्मत की गयी तथा मरम्मत कार्य निरंतर जारी हैं।

26. "भारत निर्माण" के तहत केन्द्र सरकार से प्राप्त धनराशि के सहयोग से वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2009-10 के माह दिसम्बर, 2009 तक 35 हजार 9 सौ 39 ग्राम/ढाणियों को पेयजल से लाभांवित किया जा चुका है। माह दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2009 तक 3 सौ 24 अलाभान्वित गाँव व ढाणियों सहित कुल 6576 गाँव व ढाणियों को पूर्ण लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में "सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान" वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया तथा इस कार्यक्रम में अब तक 24 लाख 53 हजार 525 निजी शौचालयों एवं स्कूलों में 51 हजार 84 शौचालयों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में 9 हजार 364 शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

27. भू-जल स्तर में कमी के प्रति राज्य सरकार गंभीर है और जल संसाधन के विकास एवं प्रबंधन के क्षेत्र में विशेष प्रयास कर रही है। 2 लाख 82 हजार खुले कुओं से भू-जल पुनर्भरण कार्य प्रारंभ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के लिए 2 करोड़ 19 लाख 39 हजार रुपये का प्रावधान है जिसके तहत कृषकों की सहभागिता के आधार पर भू-जल प्रबंधन, संरक्षण, पुनर्भरण एवं दोहन के कार्य करवाये जायेंगे।

28. आवागमन के साधनों को सुगम बनाने के लिये सड़क विकास एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2009 में नवम्बर तक 34 हजार 482 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 10 हजार 608 गाँवों को सड़कों से जोड़ा गया। सामान्य क्षेत्र में 500 तथा जनजाति एवं मरू क्षेत्र में 250 से अधिक आबादी वाले इन गाँवों को सड़कों से जोड़ने पर 4 हजार 846 करोड़ रुपये व्यय किये गये। नरेगा योजना में 250 से 499 तक की आबादी वाले 2 हजार 776 गाँवों को ग्रेवल सड़क से जोड़ा जा रहा है।

29. प्रत्येक जिले में 100 किलोमीटर लम्बाई के राज्य राजमार्ग एवं जिला सड़कों के मैटलस्तर पर सुदृढीकरण एवं दोनों ओर वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। राज्य में 15 हजार किलोमीटर लम्बाई के राजमार्गों एवं जिला सड़कों का आगामी 5 वर्षों में सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण करने की योजना तैयार की गई है। इसके तहत वर्ष 2009-10 में एक हजार किलोमीटर लम्बाई में कार्य करवाये जायेंगे। प्रदेश के 1378 किलोमीटर लम्बाई के राष्ट्रीय उच्चमार्गों तथा 1521 किलोमीटर लम्बाई के राज्य राजमार्गों को चौड़ा एवं सुदृढीकरण की ग्यारह-ग्यारह परियोजनाएँ बी.ओ.टी. अथवा जन सहभागिता के आधार पर क्रियान्वित करने के लिए चिन्हित की गई हैं। जयपुर-कोटपूतली-गुड़गाँव के 6 लेन मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ग्रामीण क्षेत्रों की 2 हजार 846 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण की योजना प्रारंभ की गई है।

30. राज्य सरकार सड़क दुर्घटनाओं में नियंत्रण एवं कमी लाने के लिए गंभीर एवं सतत प्रयास कर रही है। इसके लिए अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजना बनाई गई है। चालक लाइसेंस की प्रक्रिया में गुणवत्ता लाने के साथ कड़े मानदंड निर्धारित किये गये हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर हाइवे पैट्रोलिंग उड़नदस्ते तैनात किये गये हैं।

31. आमजन को सस्ती एवं सुरक्षित परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य पथ परिवहन निगम सक्रिय एवं प्रयासरत है। वर्ष 2009-10 में पुरानी एवं नाकारा बसों के स्थान पर 650 नई बसें क्रय करने के साथ ही 62.75 करोड़ किलोमीटर संचालन का लक्ष्य है। नई सेवाओं के तहत जयपुर से सभी संभागीय मुख्यालयों को सुपर लज्जरी बसों से जोड़ने की योजना है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल एवं महत्वपूर्ण बड़े शहरों के लिए नई वोल्वो वाहन संचालित करने के साथ ही ग्राम पंचायतों से तहसील मुख्यालय तक बस सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मिनी बसों के संचालन की योजना है। नगरीय ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अन्तर्गत जयपुर एवं अजमेर शहर में नई लो फ्लोर बस सेवाएं संचालित की जायेंगी। रक्षाबंधन पर बालिकाओं एवं महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा दी गई।

32. औद्योगिक विकास के साथ निवेश वृद्धि राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। राज्य में उद्योग, सेवा एवं आधारभूत संरचना क्षेत्रों में निवेश को गति प्रदान करने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया है। उद्यमियों को उचित दर पर वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार, वित्त निगम एवं सिडबी के बीच एम.ओ.यू. किया गया है। राजस्थान वित्त निगम ने वर्ष

2009-10 के दौरान ब्याज दरों में कटौती कर लघु एवं मध्यम उद्योगों को राहत पहुँचाई है।

33. प्रदेश में 322 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हैं। वर्तमान में 6 क्षेत्र पालरा (अजमेर), करनी विस्तार (बीकानेर), पलसाना (सीकर), बालोतरा (चतुर्थ), रूपनगढ़, कालड़वा विस्तार (उदयपुर) विकासाधीन हैं। रीको ने औद्योगिक विकास एवं रखरखाव पर दिसम्बर, 2009 तक 150 करोड़ 58 लाख रुपये व्यय किये हैं।

34. औद्योगिकी विकास में वृद्धि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जापानी संस्था जैट्रो के साथ एम.ओ.यू. किया गया है। इस क्षेत्र में 2 इकाइयों में उत्पादन शुरू हो गया है तथा 9 इकाइयों का निर्माण जारी है। अभी तक 19 इकाइयों को 263.70 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट के तहत राज्य सरकार और दिल्ली-मुम्बई कोरिडोर डवलपमेंट कॉरपोरेशन के मध्य करार हुआ है।

35. राज्य में दिसम्बर, 2009 तक 9 हजार 400 लघु एवं दस्तकारी इकाइयों का पंजीयन कर मेमोरेण्डम जारी किया गया, जिसमें 1136 करोड़ 84 लाख रुपये का निवेश और 55 हजार 361 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत 1 हजार 256 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया तथा गृह उद्योग योजना में 4 हजार 34 महिलाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा 12 हजार 855 हस्तशिल्पियों को आर्टीजन परिचय-पत्र तथा 5 हजार 970 को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये गये। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में एक हजार 500 इकाइयों को ऋण स्वीकृत कराया गया।

36. बुनकरों की बीमारी के उपचार के लिए दिसम्बर तक नई स्वास्थ्य बीमा योजना में 2 हजार 853 बुनकरों का बीमा कराया गया। इसी तरह महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना से 578 बुनकरों को लाभान्वित किया गया। नमक श्रमिक कल्याण योजना के तहत 3 हजार 500 श्रमिकों को पहचान-पत्र दिये गये।

37. औद्योगिक विकास, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, ग्रामीण दस्तकारी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए क्लस्टर डवलपमेंट एप्रोच के तहत 149 क्लस्टर चिन्हित कर 33 क्लस्टर का विकास शुरू किया गया। खादी क्षेत्र में एक हजार 531 को रोजगार देने के साथ "खादी एक नई पहल योजना" के तहत 8 क्लस्टर विकसित किये गये।

38. राज्य में प्रायः औद्योगिक शांति रही। राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए पूर्णरूपेण सजग एवं प्रतिबद्ध है। भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को प्राथमिकता से लागू करने की कार्यवाही की जा रही है। अधिनियम को प्रभावी करने के लिए राज्य के नियम 30 अप्रैल, 2009 को अधिसूचित कर दिए गए हैं तथा कल्याण मण्डल का गठन कर दिया गया है। "विश्वकर्मा अंशदायी पेंशन योजना" को राज्य के 30 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

39. रोजगार विभाग में 30 नवम्बर, 2009 को लगभग 8 लाख 32 हजार रोजगार चाहने के इच्छुक बेरोजगार आशार्थी रोजगार कार्यालयों की संजीव पंजिका पर उपलब्ध थे। वर्ष 2009-10 में 31 दिसम्बर, 2009 तक 20 रोजगार

सहायता शिविर आयोजित किये गये, जिनमें 27 हजार 459 बेरोजगारों को रोजगार/स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर लाभांशित किया गया।

40. "अक्षत योजना, 2007" के अंतर्गत माह 1 जुलाई, 2007 से नवम्बर, 2009 तक 60 हजार 946 बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत कर लाभांशित किया जा चुका है। राज्य सरकार के निर्णयानुसार "अक्षत योजना, 2007" को संशोधित कर अक्टूबर, 2009 से "अक्षत कौशल योजना, 2009" प्रारम्भ कर दी गई है।

41. राजस्थान आजीविका मिशन द्वारा विभिन्न प्रकार की तकनीकी दक्षताएं बढ़ाने के लिये 16 मुख्य प्रवृत्तियों में 169 दक्षता कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विविध नवाचार भी किये जा रहे हैं। राज्य के 7 सम्भागीय मुख्यालयों पर ग्रामीण रोजगार केन्द्रों (REX) की स्थापना की जा रही है।

42. विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित आजीविका संवर्द्धन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। टोंक में डेयरी क्लस्टर, बीकानेर में भेड़ क्लस्टर, बाँसवाड़ा में मछली क्लस्टर और उदयपुर में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग आधारित क्लस्टर विकसित किये जा रहे हैं। टोंक जिले में 10 हजार महिलाओं को वित्तीय साक्षरता पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें से 50 प्रतिशत महिलायें अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। कंजर समुदाय के आजीविका संवर्द्धन हेतु झालावाड़ जिले में विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

43. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का विकास एवं सुदृढीकरण किया गया है। इस वर्ष 537 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये। 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 55 शैयाओं की वृद्धि की गई। जिला चिकित्सालयों में 9 आई.सी.यू., 18 ट्रोमा यूनिट, 18 पुनर्वास केन्द्र एवं 24 बर्न यूनिट स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 5000 अतिरिक्त ए.एन.एम. के पद संविदा पर सृजित कर, 2853 अतिरिक्त ए.एन.एम. को संविदा पर नियुक्ति दी गई। आमजन को सस्ती दर पर दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु जन औषधि केन्द्र का शुभारम्भ किया गया है।

44. राज्य में 1 जनवरी, 2009 से “मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष योजना” को लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत राज्य के समस्त राजकीय चिकित्सालयों, सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को पूर्णतया निःशुल्क इन्डोर/आउटडोर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजनान्तर्गत 31 दिसम्बर, 2009 तक कुल 24 लाख 5 हजार रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई। जिसमें से 21 लाख 47 हजार ओ.पी.डी. में एवं 2 लाख 58 हजार आई.पी.डी. रोगी थे। इस अवधि में योजनान्तर्गत कुल 23 करोड़ 81 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है। पुरानी बी.पी.एल. सूची से जिन लोगों के नाम नई सूची में नहीं आये हैं, उनको स्टेट बी.पी.एल. मानते हुए इस योजना के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश में 1 मार्च, 2009 से बी.पी.एल. प्रसूताओं को प्रथम

संस्थागत प्रसव पर 5 किलो देशी घी प्रदान करने की योजना प्रारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2009 तक 14 हजार 348 प्रसूताओं को देशी घी हेतु कूपन जारी किये जा चुके हैं।

45. "धनवन्तरी एम्बुलेन्स योजना" के अन्तर्गत दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2009 तक 1 लाख 99 हजार 503 लोगों को समय पर चिकित्सा संस्थान पर पहुँचा कर जीवन रक्षा की गई। 114 '108' एम्बुलेन्स का क्रय कर क्रियाशील किया गया। गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से 25 राजीव गाँधी ग्रामीण मोबाइल मेडिकल इकाइयों का संचालन कर ग्रामीण जनता को निःशुल्क जाँच, इलाज एवं दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

46. राज्य के मेडिकल कॉलेजों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की 197 सीटें, सुपर स्पेशियलिटी की 17 सीटें एवं बी.डी.एस. की 10 सीटों की वृद्धि की जा रही है। मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में स्वपोषित आधार पर फिजियोथैरेपी महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज, बीकानेर के अधीन हृदय रोगियों के उपचार हेतु "हल्दीराम कार्डियोलोजी एवं कार्डियोथोरेसिक सेन्टर" की स्थापना की गई है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में "स्टेम सैल प्रयोगशाला" प्रारम्भ की जा रही है।

47. राज्य में आयुर्वेद एवं अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विकास एवं विस्तार के सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। गत एक वर्ष में 378 ग्रामीण आयुर्वेदिक चिकित्सकों, 47 होम्योपैथिक चिकित्सकों तथा 20 यूनानी चिकित्सकों के

अलावा 557 आयुर्वेद नर्स एवं कम्पाउण्डरों को नियुक्ति प्रदान की गई।

48. राज्य सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं महिला साक्षरता में वृद्धि के विशेष प्रयास किये हैं। राज्य में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अब तक 2 हजार 712 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आई.सी.टी. परियोजना संचालित की जा रही है।

49. प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के विस्तार एवं सुदृढीकरण के लिए रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। वरिष्ठ अध्यापक, प्रथम श्रेणी के 57 तथा तृतीय श्रेणी के 2 हजार 916 पदों की भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने परीक्षा का आयोजन कर परिणाम घोषित कर दिया है।

50. उच्च शिक्षा के विस्तार एवं सुदृढीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान राजकीय महाविद्यालयों में 61 नवीन सैक्शन विज्ञान, वाणिज्य एवं कला विषयों के स्वीकृत करने के साथ ही प्रत्येक वर्ग में 100 सीटें की गई जिससे 25 हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुए। इसके अलावा 11 महाविद्यालयों में विज्ञान तथा 3 महाविद्यालयों में वाणिज्य संकाय राजकीय क्षेत्र में शुरू किये गये। इस वित्तीय वर्ष के दौरान 3 नवीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के साथ ही विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षकों को छठे वेतनमान का लाभ दिया गया।

51. राज्य में तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए गत एक वर्ष में अनेक प्रभावकारी कदम उठाये गये हैं। गत

वर्ष 6 नये राजकीय पॉलीटैक्निक महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई। बांसवाड़ा में एक राजकीय अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोला गया है जिसमें शैक्षिक सत्र 2010-2011 में विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकेगा। इसी अवधि में प्रदेश में 19 नये अभियांत्रिकी महाविद्यालय एवं 37 एम.बी.ए. संस्थान खोलने की अनुमति दी गई। दक्ष जनशक्ति की मांग की पूर्ति के लिए राजस्थान व्यावसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण परिषद् का गठन किया गया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में 4 उच्चस्तरीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लक्ष्य के तहत आई.आई.टी. के लिए जोधपुर एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर किशनगढ़ में स्थल का चयन किया जा चुका है।

52. विद्यार्थियों को पौष्टिक एवं गरम भोजन उपलब्ध कराने की मिड-डे मील योजना वर्तमान में 81 हजार 436 सरकारी एवं अनुदानित विद्यालयों तथा शिक्षा गारंटी केन्द्रों में संचालित की जा रही है जिससे कक्षा एक से आठ तक के 80 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है। भोजन बनाने के लिए प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी की लागत राशि में पर्याप्त वृद्धि की गई है। प्रदेश में 22 स्थानों पर केन्द्रीयकृत रसोईघर का निर्माण पूरा कराने के साथ ही विद्यालयों में पक्का रसोईघर बनाने के लिए 403 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इससे 67 हजार 200 विद्यालयों में से 75 प्रतिशत विद्यालयों में पक्के रसोईघर निर्मित हो गये हैं।

53. कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही

है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में दिसम्बर तक 8 लाख 99 हजार 889 व्यक्तियों को वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन का लाभ दिया गया। परित्यक्ताओं को पेंशन का लाभ देने के लिए नियमों में संशोधन करने के साथ ही इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना प्रदेश में लागू की गई। विकलांग कल्याण पर दिसम्बर, 2009 तक 5 करोड़ 43 लाख 69 हजार रुपये व्यय किये गये। मूक बधिर, नेत्रहीन एवं विमंदितों के लिए संचालित विशेष विद्यालयों के छात्रावासों के लिए मेस भत्ता बढ़ाकर एक हजार रुपये किया गया है। विकलांग विवाह परिचय योजना में 262 निःशक्तजनों को लाभान्वित करने के साथ ही अपाहिज, अपंग एवं नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए पेंशन नियमों का सरलीकरण किया गया।

54. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक उन्नयन की योजना के तहत एक लाख 23 हजार 442 विद्यार्थियों को 55 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई गई। राज्य में पृथक् से अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया गया है। गाड़िया लुहारों को आवास निर्माण के लिए 25 हजार से बढ़ाकर सहायता राशि 35 हजार रुपये की गई। बी.पी.एल. परिवारों की कन्याओं के विवाह पर कन्यादान की सहयोग योजना के तहत 3 हजार 34 कन्याओं को 2 करोड़ 65 लाख 65 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई। पालनहार योजना के तहत 27 हजार 601 तथा अनुप्रति योजना में 323 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

55. आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं की दरों में 7 हजार 340 रुपये प्रतिवर्ष को बढ़ाकर 10 हजार 600 रुपये किया गया।

56. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जनजाति परिवारों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उन्नयन की अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है। कक्षा दस एवं बारहवीं में 65 प्रतिशत या अधिक अंक लाने वाली 146 छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराने के अलावा सहरिया क्षेत्र के 11 हजार 89 छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पोशाकें वितरित की गईं, इसके अलावा 2 हजार 406 जनजाति के व्यक्तियों को कम्प्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण दिया गया। वन अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं में प्रस्तुत 59 हजार 900 दावों में से 58 हजार 748 दावों का निस्तारण किया जा चुका है।

57. महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए सात सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया गया है। राज्य में दिसम्बर, 2009 तक 1 लाख 90 हजार स्वयं सहायता समूह गठित करने के साथ ही 1 लाख 47 हजार समूहों को 322 करोड़ 32 लाख रुपये के ऋण दिलवाये गये हैं। इन समूहों के उत्पादों को विपणन सुविधा देने के लिए अमृता मार्केटिंग सोसायटी का गठन किया गया है। राज्य में महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम) लागू कर घरेलू हिंसा से व्यथित महिलाओं के संरक्षण और उचित राहत दिलाये जाने हेतु ठोस कदम उठाये गये हैं।

58. राज्य में इस वर्ष 26 नई बाल विकास परियोजनाएँ स्वीकृत करने के साथ ही 6 हजार 543 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 3 हजार 523 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये। प्रदेश में स्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों से प्रतिदिन 39 लाख बच्चों एवं माताओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। पूरक पोषाहार की इकाई लागत बढ़ाने के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं साथिन को सेवा उपरांत आर्थिक सहायता देने के लिए आंगनबाड़ी कल्याण कोष गठित किया गया है जिसमें राज्य सरकार ने अभी तक 3 करोड़ 47 लाख रुपये का अंशदान दिया है।

59. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 88 लाख 74 हजार से अधिक जॉब कार्ड जारी कर 62 लाख 15 हजार परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। राज्य में गत एक वर्ष में 41 करोड़ 87 लाख 14 हजार मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया। इन्दिरा आवास योजना के तहत 221 करोड़ 34 लाख रुपये व्यय कर 50 हजार 659 नवीन आवासों का निर्माण तथा एक हजार 610 कच्चे मकानों को पक्के मकानों में परिवर्तित किया गया। एकीकृत बंजर प्रबन्धन कार्यक्रम (IWMP) के तहत 32 जिलों की 127 पंचायत समितियों में 162 परियोजनाएँ स्वीकृत हुई हैं। जिनकी लागत 1294 करोड़ 94 लाख आयेगी, इस योजना में 9 लाख 25 हजार 599 हैक्टेयर भूमि को 7 वर्षीय परियोजना अवधि में उपचारित किया जायेगा।

60. पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढीकरण के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। इसके तहत 10 नई पंचायत

समितियों का सृजन करने के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को 16 विषयों के अधिकार दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। जन प्रतिनिधियों के मानदेय एवं दैनिक भत्ते में वृद्धि करने के साथ ही 249 पंचायत समितियों एवं 9 हजार 168 ग्राम पंचायतों में नरेगा योजना में राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण प्रति इकाई क्रमशः 25 लाख एवं 10 लाख रुपये की लागत से करवाया जा रहा है।

61. चालू वर्ष के दौरान 42 हजार 213 ग्रामीण परिवारों को भूखण्ड आवंटन एवं पट्टे जारी कर लाभान्वित किया गया। इसमें 9 हजार 881 बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क पट्टे दिये गये। 8 हजार 71 योग्य ग्रामीण परिवारों को रियायती दरों पर भूखण्ड आवंटन करने के साथ ही 14 हजार 978 पुराने भवनों एवं 9 हजार 283 विनियमितिकरण के पट्टे जारी किये गये।

62. ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यों के लिए 246 करोड़ रुपये की राशि पंचायती राज संस्थाओं को बारहवें वित्त आयोग के तहत आवंटित की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं के लिए राज्य वित्त आयोग-तृतीय के तहत 100 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के तहत 12 चयनित जिलों में समेकित आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए 321 करोड़ 42 लाख रुपये पंचायतों/नगर निकायों को हस्तांतरित किये गये। इसी तरह निबन्ध राशि योजना में 16 करोड़ रुपये पंचायतों को दिये गये।

63. जहां मानसून में वर्षा की कमी के परिणामस्वरूप खरीफ-2009 में खड़ी फसलों को नुकसान हुआ वहाँ रबी

मौसम में भी अपेक्षाकृत कम बुवाई हुई। इस स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग द्वारा उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता, बुवाई पूर्व एवं खड़ी फसल में समय पर उर्वरक के उपयोग हेतु उर्वरक की पर्याप्त व्यवस्था की गयी। रबी पूर्व कृषि ज्ञान और आदान शिविरों का आयोजन किया गया जिससे किसान अपने खेत से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके।

64. वर्ष 2009-10 हेतु राज्य में 474 प्रगतिशील कृषकों का चयन किया जाकर 408 कृषकों को पंचायत समिति, 64 कृषकों को जिला स्तर एवं 2 कृषकों को राज्य स्तर के पुरस्कार दिये जा रहे हैं, जिसमें पंचायत समिति, जिला स्तर एवं राज्य स्तर के पुरस्कार की राशि क्रमशः 10,000, 25,000 तथा 50,000 रुपये होगी। कृषि विभाग द्वारा राज्य के प्रगतिशील कृषकों को इतने वृहद् स्तर पर सम्मानित करने का यह पहला अवसर है।

65. कृषि क्षेत्र में इस वर्ष जल के कुशलतम उपयोग व बचत को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2009-10 में सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत 8044 हैक्टर में बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्रों एवं मिनी स्प्रींकलर की स्थापना की जा चुकी है। ग्रीन हाउस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाउस स्थापित किये जाने पर लघु/सीमान्त कृषकों को 75 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2009-10 में 62 ग्रीन हाउस स्थापित किये जा चुके हैं।

66. फसलों की उत्पादकता में वृद्धि के लिए उन्नत बीज के उपयोग का अहम् महत्व है। वर्ष 2009-10 में लगभग 20 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई कम होने के बावजूद 14.35 लाख क्विन्टल उन्नत बीज वितरित किये गये।

67. राज्य में वर्ष 2009 के दौरान 11 हजार 372 सहकारी संस्थाओं के सभी स्तर की इकाइयों में चुनाव करवा कर निर्वाचित प्रतिनिधियों को कमान सौंपी गई है। गत वर्ष दिसम्बर तक 2914 करोड़ रुपये के अल्पकालीन तथा 172 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरित किये गये। महिलाओं को सहकारिता के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हिस्सा बनाने की दिशा में रिद्धी-सिद्धी योजना लाई गयी है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य में 203 मिनी उपहार सुपर मार्केट खोले जा चुके हैं।

68. समग्र सहकारी विकास कार्यक्रम आठ जिलों में पूर्ण हो गया है तथा वर्तमान में 13 जिलों में चलाया जा रहा है। एन.सी.डी.सी. योजना में 99 तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 132 गोदामों का निर्माण करवाया जा रहा है।

69. आमजन को बेहतर सुविधाएं देने तथा राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शेष रहे 52 तहसील मुख्यालयों में उपखंड कार्यालय स्थापित किये गये हैं। इसके अलावा 559 मजरो को नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। प्रदेश में जमाबंदियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। इस वर्ष टोंक, भीलवाड़ा, जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों को भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया।

70. राज्य सरकार ने गत वर्ष एक हजार 111 आवंटियों को 6 हजार 121 हैक्टेयर भूमि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में आवंटित की। किसानों की मांग को देखते हुए बकाया किस्तों के भुगतान पर समय-समय पर ब्याज माफी की सुविधा दी गई। एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत

छूट प्रदान की गई। इससे 4 हजार 772 काश्तकारों को 171 लाख 78 हजार रुपये ब्याज की छूट मिली।

71. वक्फ संपत्तियों के विकास एवं संरक्षण की नीति बनाने एवं वक्फ अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू करने के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए राज्य में वक्फ विकास परिषद् का गठन किया गया है।

72. कारगिल पैकेज के तहत शहीद सैनिकों एवं अर्द्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों के माता-पिता के खाते में जमा 1.50 लाख रुपये की राशि को माता-पिता के निधन के बाद उनके द्वारा नामित व्यक्ति को देने की व्यवस्था की गई है। सीकर एवं झुंझुनूं जिलों में युद्ध-विधवा छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

73. राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फ़ैडरेशन लिमिटेड के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से दिसम्बर, 2009 तक औसतन 15 लाख 19 हजार किलोग्राम प्रतिदिन दुग्ध संकलित कर औसतन 13 लाख 67 हजार लीटर प्रतिदिन दुग्ध विपणन किया गया। दुग्ध पेटे दुग्ध उत्पादकों को रुपये 319 प्रति किलोग्राम की औसतन दर से 743 करोड़ 24 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

74. शहरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर व अल्प आय वर्ग के परिवारों को स्वयं का आवास सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने की दृष्टि से "एफोर्डेबल आवास नीति" राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है। राज्य के विभिन्न शहरों में ढांचागत सुधार हेतु सरकार द्वारा यह प्रयास किये जायेंगे कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से अधिक से अधिक योजनाएँ चालू की जावें। इस हेतु निजी क्षेत्र से प्रस्ताव आमंत्रित किये जा रहे हैं।

75. राष्ट्रीय राजमार्ग सीकर रोड एवं दिल्ली रोड के मध्य एक्सप्रेस हाइवे पर ग्राम चौप के पास जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि पर शैक्षणिक गतिविधियों के नियोजित विकास हेतु "नॉलेज सिटी-नॉर्थ" बनाये जाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह ग्राम चितौड़ा, तहसील फागी में जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि पर शैक्षणिक गतिविधियों के नियोजित विकास हेतु "नॉलेज सिटी-दक्षिण" बनाये जाने की कार्रवाई की जा रही है। जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र के समीप चल रही विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों-मेडिकल कॉलेज एवं अन्य महाविद्यालयों तथा रीजन के विस्तार पश्चात् इस क्षेत्र की भावी जन आवश्यकताओं हेतु ग्राम अचरोल स्थित प्राधिकरण की करीब 150 हैक्टेयर भूमि पर "साइंस टेक सिटी" बनाये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

76. राज्य में कानून एवं व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ सूचना तंत्र को मजबूत बनाने के ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। वर्ष 2009 के दौरान राज्य में विभिन्न स्थानों पर साम्प्रदायिक घटनाओं एवं तनाव की स्थिति के दौरान पुलिस एवं प्रशासन की प्रभावी कार्यवाही से स्थिति को सामान्य एवं नियंत्रित करने में सफलता पाई।

77. राज्य में वर्ष 2009 के दौरान भा.द.सं. (I.P.C.) की विभिन्न धाराओं में एक लाख 66 हजार 565 प्रकरण दर्ज हुए। महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम के लिए 19 महिला थाने, 12 महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र तथा 39 पारिवारिक परामर्श केन्द्र कार्यरत हैं। अनुसूचित जाति एवं

जनजाति से संबंधित अत्याचारों के दर्ज अभियोगों की जांच के लिए 18 जिलों में 21 प्रकोष्ठ कार्यरत हैं जिनका प्रभारी उप अधीक्षक स्तर का अधिकारी है। माह दिसम्बर, 2009 तक पुलिस ने वांछित 204 घोषित अपराधी, 924 भगोड़े एवं 8 हजार 360 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के जवानों के लिये हुडको की मदद से दस हजार आवासों का निर्माण 451 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से करवाया जा रहा है। अब तक 9 हजार 720 आवासों का निर्माण शुरू करने के साथ ही 4 हजार 634 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

78. राजस्थान देशी-विदेशी पर्यटकों का आकर्षण का केन्द्र रहा है। वर्ष 2009 में माह जनवरी से दिसम्बर, 2009 तक 255.59 लाख देशी एवं 10.73 लाख विदेशी पर्यटकों ने प्रदेश का भ्रमण किया। ट्रेन ट्यूरिज्म में राजस्थान की सिरमौर स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर "रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स" नाम से दूसरी पर्यटक रेल शुरू की जा चुकी है। पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान को राष्ट्रीय पर्यटन के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी का अवार्ड 24 फरवरी, 2009 को प्रदान किया।

79. केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत 34 करोड़ 80 लाख 14 हजार रुपये के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। इसके तहत मचकुंड-धौलपुर, हवामहल फेज-2, जंतर-मंतर फेज-2, नाहरगढ़ किला-जयपुर, आमेर किले का संरक्षण एवं विकास कार्य तथा अजमेर-पुष्कर मेगा प्रोजेक्ट, सालगाँव-माउण्ट आबू एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान-भरतपुर के कार्य कराये जाएंगे। फ्लड लाइट सर्किट के तहत 28 महत्वपूर्ण स्थलों के

अधिकांश कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। इसी तरह मेवाड़ कॉम्प्लेक्स के कार्य पूर्ण होने के साथ वेणेश्वर धाम के विकास का कार्य प्रगति पर है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर में खेजड़ली एवं खींचन तथा बारां में सोरसन के विकास की परियोजना रिपोर्ट तैयार करवा कर कार्य प्रारंभ किये जा रहे हैं। जयपुर में दी ग्रेट इण्डियन ट्रेवल बाजार-2009 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह मार्ट भारत में किसी भी राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित पहला अखिल भारतीय ट्रेवल मार्ट है।

80. मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी-फारसी शोध संस्थान, टोंक के हस्तलिखित ग्रन्थों के डिजिटलाईजेशन का कार्य जारी है, अब तक 6 लाख पृष्ठों का डिजिटलाईजेशन हो चुका है।

81. अम्बेडकर पीठ, ग्राम मूण्डला, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर के लिए वर्ष 2009-10 में कुल 2 करोड़ 23 लाख 80 हजार रुपये स्वीकृत हैं, जिनमें भवन निर्माण पर 1 करोड़ 96 लाख रुपये तथा प्रशासनिक व्यय हेतु 27 लाख 80 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

82. राज्य में मंदिरों की पुरातात्विक धरोहर को सुरक्षित रखने और मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए वर्ष 2009-10 में 5 करोड़ 63 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान है।

83. राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष राज्य शासन से प्रबन्धित मंदिरों एवं संस्थाओं की अलाभकारी सम्पत्तियों को दीर्घकालीन लीज पर दिये जाने का निर्णय लिया गया है। मंदिरों की परिसंपत्तियों की देखभाल एवं मेलों की व्यवस्था के लिए

उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में निगरानी समितियां गठित की गई हैं। श्री नाथद्वारा मंदिर मंडल एवं श्री सांवलिया जी मंदिर मण्डल की ओर से भी श्रद्धालुओं की सुविधाओं में विस्तार के लिए क्रमशः 10 करोड़ एवं 4 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं।

84. राज्य सरकार ने बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण, कालाबाजारी एवं जमाखोरी रोकने के कड़े उपाय करते हुए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। एक तरफ गेहूँ का अतिरिक्त कोटा प्राप्त कर बाजार में उपलब्ध कराया गया वहीं दूसरी ओर सस्ती दरों पर आटा, दाल एवं गेहूँ उपभोक्ताओं तक पहुँचाया। चीनी एवं दाल की स्टॉक सीमा और बिक्री अवधि निर्धारित कर कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी पर रोक लगाने के साथ ही "शुद्ध के लिये युद्ध अभियान" शुरू कर आमजन को विशुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के ठोस प्रयास किये गये।

85. भारत सरकार से अप्रैल, 2009 में राज्य को आवंटित 32 हजार 180 मैट्रिक टन गेहूँ की मात्रा बढ़ाकर 64 हजार 360 मैट्रिक टन कराई गई। प्रदेश में अकाल के मद्देनजर अक्टूबर, 2009 से मार्च, 2010 तक की अवधि के लिए 25 हजार 354 मैट्रिक टन गेहूँ प्राप्त कर अकाल प्रभावित क्षेत्रों तक पहुँचाया गया। छह माह की अवधि के लिए कुल 1 लाख 52 हजार 124 मैट्रिक टन गेहूँ का अतिरिक्त आवंटन कराया गया। खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत अक्टूबर, 2009 से मार्च, 2010 की अवधि के लिए 1 लाख 73 हजार 864 मैट्रिक टन गेहूँ एवं 78 मैट्रिक टन चावल का संभागीय मुख्यालयों पर आवंटन हुआ। इसी प्रकार खुली बिक्री योजना

के तहत 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को आटा उपलब्ध कराया जा रहा है।

86. राज्य में चलाये गये हरित राजस्थान अभियान के तहत वन विभाग ने 3 करोड़ 12 लाख पौधे लगाये। अन्य विभागों एवं संस्थाओं ने अभियान में 1 करोड़ 28 लाख पौधे रोपे। पर्यावरण, वन्य जीव एवं वन संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में मानदेय पर एक हजार 'वन मित्र' लगाये जाने हेतु कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है। राज्य में 4 हजार 916 ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियां 7 लाख 80 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वन प्रबन्धन का कार्य कर रही हैं।

87. बाघ रिजर्व क्षेत्रों के प्रबन्धन को सरल, सहायक एवं पारदर्शी बनाने के लिए बाघ संरक्षण फाउण्डेशन की स्थापना की जा रही है। रणथम्भौर, सरिस्का, सवाईमानसिंह एवं कैलादेवी अभ्यारण्यों में वन्य जीवों विशेषतः बाघों के लिए पानी की समस्या के समाधान के लिए वाटर हार्वेस्टिंग परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।

88. राज्य में खेलों के व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध विकास के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य क्रीड़ा परिषद् के अधीन महिला बास्केटबाल एवं हॉकी की क्रमशः जयपुर एवं अजमेर में अकादमी स्थापित की गई है। इसके अलावा बालक छात्रावास, जयपुर तथा स्पोर्ट्स स्कूल कोढ्यारी (सीकर) के माध्यम से खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाएं प्रदान कर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के योग्य बनाया जा रहा है। राज्य में स्टेडियम

विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसमें संभाग, जिला, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तर पर खेल सुविधाएं विकसित की जायेंगी। पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीका) के तहत प्रदेश में 869 ग्राम पंचायत एवं 24 ब्लॉक स्तर पर पीका खेल केन्द्र खोले गये हैं।

89. ई-गवर्नेंस के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ आम आदमी तक पहुँचाने के लिए सरकारी विभागों के आयोजना बजट का तीन प्रतिशत भाग नागरिक केन्द्रित ई-प्रशासन के लिए सुनिश्चित किया गया है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में 339 नागरिक सेवा केन्द्र कियोस्क प्रारंभ किये गये हैं। मार्च, 2010 तक ऐसे 1200 केन्द्र तथा आगामी एक वर्ष के अन्दर सम्पूर्ण प्रदेश में 6 हजार 626 केन्द्र क्रियाशील करने की कार्रवाई की जा रही है। राजकीय विभागों में क्रय पद्धति में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई-क्रय तंत्र लागू किया जा रहा है। आम जनता को सरकारी सुविधाएं एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी 33 जिला एवं सभी संभागीय मुख्यालयों पर टच स्क्रीन कियोस्क लगाये जा चुके हैं।

90. राज्य में उपलब्ध धात्विक एवं अधात्विक खनिजों के विवेकपूर्ण खनन के साथ अवैध खनन रोकने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से संचालित विशेष अभियान द्वारा अवैध खनन रोकने की प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

91. बाड़मेर-सांचोर बेसिन में खोजे गये 480 मिलियन टन खनिज तेल के भण्डारों के दोहन के लिए व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है। बाड़मेर के मंगला क्षेत्र में

कच्चे तेल के उत्पादन का शुभारंभ 29 अगस्त, 2009 को प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया गया।

92. नागौर में स्थित मातासुख-कसनऊ खदान में उपलब्ध खारे पानी के उपयोग के लिए जल परिशोधन संयंत्र लगाया जा रहा है। इसके शुरू होने से जिले के गाँवों को 1 करोड़ 30 लाख लीटर पीने योग्य पानी मिल सकेगा।

93. शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने एवं कार्यों के निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों से संशोधित नागरिक चार्टर प्रकाशित करने एवं विभागीय महत्वपूर्ण सूचनाओं का सूचना-पट्ट लगाने के निर्देश दिये गये हैं।

94. राज्य में न्याय प्रशासन को सुदृढ़ आधार देने के लिए गत वर्ष अनेक नये न्यायालय खोले गये। तिजारा (अलवर) तथा शाहपुरा (भीलवाड़ा) में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट के तहत 14 विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, जोधपुर में मोटर वाहन अधिनियम संबंधी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय तथा जयपुर में बम कांड मुकदमों की सुनवाई के लिए जिला एवं सेशन न्यायालय खोले गये। इसके अलावा 45 ग्राम न्यायालयों की स्थापना भी की गई है। प्रचलित कानूनों की समीक्षा एवं सरलीकरण के लिए महाधिवक्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

95. राज्य सरकार पत्रकारों के कल्याण के लिए कृत संकल्प हैं। अधिस्वीकृत पत्रकारों को वर्तमान में मेडिकल डायरी से 2 हजार 500 रुपये प्रतिवर्ष तक की चिकित्सा हेतु दवाई उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त एक लाख

रूपये तक की मेडिकलेम पॉलिसी लेने पर प्रीमियम राशि का 75 प्रतिशत पुनर्भरण पत्रकार कल्याण कोष से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

96. माननीय सदस्यगण, इस सत्र में निम्न विधेयक विधान सभा के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे:—

1. राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2010.
2. डॉ. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) विधेयक, 2010.
3. राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010.
4. राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010.
5. पेसेफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2010.

97. इसके अतिरिक्त अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयक भी प्रस्तुत किये जायेंगे।

98. इसके अतिरिक्त निम्न वित्तीय कार्य भी सम्पादित किये जायेंगे:—

1. वर्ष 2010—11 के लिये आय—व्ययक अनुमान तथा तत्संबंधी मांगों से सम्बन्धित कार्य।
2. वर्ष 2009—10 के लिये अनुपूरक अनुदान मांगों से सम्बन्धित कार्य।

99. जन आकांक्षाओं की सम्पूर्ति एवं प्रदेश के समग्र विकास में समर्पित भाव से जुट जाने का लक्ष्य लेकर सभी माननीय सदस्य इस सदन में एकत्रित हुए हैं। मेरी सरकार का यही प्रयास होगा कि सभी सदस्यों का जनहित में रचनात्मक सहयोग लेकर राजस्थान के सर्वांगीण विकास और आम आदमी के उत्थान के लिये हम सब मिलजुल कर कार्य करें। मुझे विश्वास है कि इस सदन में होने वाले गहन विचार-विमर्श और मंथन से राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी।

जयहिन्द !